

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी मैनपुरी

पत्रांक ५०७/कोष / अधि० / 2021-22

दिनांक ०३ अगस्त 2021

विज्ञप्ति

कोषागार मैनपुरी में शासकीय कार्य हेतु एक बाहन (महेन्द्रा बोलोरो, स्कार्पियो या इनोवा) का एक वर्ष / उच्च स्तर से आदेश प्राप्त होने, जो भी पहले हो तक के लिये अनुबन्ध किया जाना है बाहन माडल वर्ष 2018 या उसके बाद का ही होना चाहिये, बाहन में ईंधन की खपत, उसका अनुरक्षण तथा चालक पर व्यय बाहन स्वामी द्वारा बहन किया जायेगा | बाहन स्वामी को बाहन, बाहन चालक तथा उस पर अनुरक्षण की दरे प्रस्तावित करनी है | प्रयुक्त ईंधन का भुगतान प्रथक से किया जायेगा | बाहन स्वामी को आधार एवं पेन की प्रति संलग्न करनी होगी | बाहन 2000 कि०मी० प्रति माह की अधिकतम सीमा तक चलाया जायेगा, बाहन स्वामी को 100 रु० के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा | बिल से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी | इच्छुक फर्म / व्यक्ति इस कोषागार में दिनांक 12.08.2021 को शाम 03 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक के माध्यम से अपना प्रस्ताव / निविदा प्राप्त करा सकते है |

उक्त वर्णित शर्तों के आधार पर निविदा / प्रस्ताव कोषागार कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में दिनांक 12.08.2021 को शाम 3.30 बजे खोली जायेगी | उक्त सूचना mainपुरी.nic.in पर उपलोड कर दी गयी है |


वरिष्ठ कोषाधिकारी
मैनपुरी


पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषित |

1-जिला सूचना अधिकारी मैनपुरी को इस आशय के साथ कि अधिकतम एक समाचार पत्रों में डी० ए० बी० दर पर प्रकाशित करने हेतु |

2-अधिष्ठान सहायक को पत्राबली में रखने हेतु |

3-नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु |


वरिष्ठ कोषाधिकारी
मैनपुरी